<u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर</u>

क्रमांक /वि.स./लेखा/2023 रायपुर,दिनांक /03/2023

// कार्यालय आदेश //

आदेशानुसार पूर्व में जारी हुये कार्यालय आदेश क्रमांक 3736/वि.स./लेखा/2017 रायपुर, दिनांक 26/10/2017 को आंशिक संशोधित करते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक चिकित्सा परिचर्या नियम-2013 में उल्लेखित नियमों के तहत निम्नलिखित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के उपरांत ही देयक **लेखा कक्ष** द्वारा स्वीकार किये जायेंगे -

1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति आवेदन चिकित्सा परिचर्या नियम-13(1) के अनुसार निर्धारित प्रारूप-एक में तथा नियम-13(2) के अनुसार निर्धारित प्रारूप-दो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
2. शासकीय चिकित्सालय में बाह्य रोगी के रूप में उपचार कराने पर नियम-13(2) तहत प्राधिकृत चिकित्सा परिचायक द्वारा समयक रूप से देयकों, केशमेमों में हस्ताक्षरित एवं प्रारूप-दो आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।
3. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में बाह्य रोगी के रूप में उपचार कराने पर प्रथमत: नियम-10(1)(2) के अनुसार सिविल सर्जन/चिकित्सा महाविद्यालय का **रेफरल प्रमाण पत्र** संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।
4. आकस्मिक परिस्थिति में मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में अंत: रोगी के रूप में/(भर्ती होकर) उपचार कराये जाने पर नियम-10 (7) के अंतर्गत संचालक, चिकित्सा शिक्षा/सचिव, विधान सभा सचिवालय को 72 घंटे के अंदर सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।
5. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराये जाने पर गुण-दोषों के आधार पर देयक संचालक, स्वास्थ्य/संचालक, चिकित्सा शिक्षा को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने योग्य होगा ।
6. चिकित्सा परिचर्या नियम-13(1) के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रारूप-एक में व्यय किय जाने के 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किये गये देयक एवं प्रमाण पत्र नियम-13(2) के तहत प्राधिकृत चिकित्सा परिचायक द्वारा हस्ताक्षरित एवं यथा स्थिति सिविल सर्जन द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने के उपरांत ही देयक स्वीकार किये जायेंगे ।
8. राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त/ गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंत: रोगी/ बाह्य रोगी के उपचार कराये जाने पर नियम-11(3) के तहत संचालक चिकित्सा शिक्षा/ राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमति के अभाव में स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

...निरंतर...

(13)

9. चिकित्सा परिचर्या नियम-7(3) के प्रावधानानुसार बाह्रय रोगियों के रूप में लंबे समय तक उपचार करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाते है (प्रोलॉग प्रमाण-पत्र) उन्हें शासकीय चिकित्सालयों में ही उपचार कराना आवश्यक होगा तथा समस्त देयकों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा ।

10. यदि चिकित्सा देयक परिवार के आश्रित सदस्य का है तो आश्रित प्रमाण-पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर में नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें । प्रमाण-पत्र में "आश्रित सदस्य के आय का कोई साधन नहीं है मेरे साथ निवास करते हैं एवं मुझ पर पूर्णतः आश्रित है" का उल्लेख हो ।

आदेश से,

हस्ता/-

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक 2257 /वि.स./लेखा/2023 रायपुर,दिनांक 2 /03/2023

प्रतिलिपि :-

1. मान.अध्यक्ष, छ.ग.विधान सभा के सचिव को अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. मान.उपाध्यक्ष, छ.ग.विधान सभा के निज सचिव को मान.उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. मान.नेता प्रतिपक्ष, छ.ग.विधान सभा के विशेष सहायक को मान.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
4. सचिव, छ.ग.विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी एवं शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर की ओर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. सर्वर कक्ष ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा